

क्र. भवन/2011/संचार/ 3133  
प्रति,

भोपाल दिनांक : 17/11/2011


समस्त मुख्य अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
मध्यप्रदेश।

विषय :- शासकीय भवनों का निर्माण एवं लोक भवनों में विस्तार एवं परिवर्तन के कार्य।  
संदर्भ :- मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग का आदेश क्र. एफ-12-1/2010/  
सामा-19 भोपाल दिनांक 19.08.2011

\*\*\*\*\*

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के आदेश क्र. एफ-12-1/2010/  
सामा-19 भोपाल दिनांक 19.08.2011 द्वारा रुपये 20.00 लाख से अधिक की लागत के समस्त  
शासकीय भवनों एवं केन्द्र सरकार निधि से निर्मित किये जाने वाले भवनों का निर्माण कार्य  
पी.आई.यू. के द्वारा संपादित किये जाने हेतु आदेश जारी किये गये हैं। कुछ मुख्य अभियन्ताओं  
द्वारा इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के नियमित भवन एवं सड़क संभागों के अन्तर्गत आने  
वाले भवनों में परिवर्तन/विस्तार के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया है कि  
यह कार्य पी.आई.यू. द्वारा संपादित किये जायेंगे अथवा लोक निर्माण विभाग के नियमित संभागों  
द्वारा संपादित किये जायेंगे।


अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग के नियमित  
भवन एवं सड़क संभागों के अन्तर्गत आने वाले भवनों में किसी भी प्रकार के तथा किसी भी लागत  
के परिवर्तन एवं विस्तार (Additions and Alterations) का कार्य लोक निर्माण विभाग के भवन  
एवं सड़क संभागों के द्वारा ही संपादित कराया जायेगा।

  
प्रमुख अभियन्ता,  
लो.नि.वि. भोपाल (म.प्र.)

पृ.क्र. भवन/2011/संचार/ 3134  
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक : 17/11/11

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
3. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश।
4. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश।

  
प्रमुख अभियन्ता,  
लो.नि.वि. भोपाल (म.प्र.)  
17/11/11